(363) (238)

निग0 5553/2018/रीवा/भू-रा0

न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल म0प्र0ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, म0प्र0

राज0 निगरानी क्र0/ /018

01- हंसराज तनय राममणि ब्रा0

02- रमेश कुमार तनय रामाधार ब्रा0

03- मुकेश कुमार तनय गोपीनाथ ब्रा0

सभी निवासीगण ग्राम पकरा, तह0 मऊगंज, जिला रीवा, म0प्र0.

------ आवेदकगण

अधि0 श्री मनोज कुमार तिवारी द्वारा पेश 11-9-18

बनाम

01- रामाधार पटेल

02- रामसुफल पटेल — चारो के पिता रामावतार पटेल

03- रामनिरख पटेल

04- रामभुवन पटेल

सभी निवासीगण ग्राम पतियारी, तह0 मऊगंज, जिला रीवा, म0प्र0.

05- आशा देवी पुत्री स्व0 रामसुमिरन पटेल निवासी ग्राम पतियारी, तह0 मऊगंज जिला रीवा, म0प्र0.

06- रामभुआल तनय रामकिशोर पटेल साकिन ग्राम पतियारी, तह0 मऊगंज, जिला रीवा, म0प्र0.

07- कृष्णराज तनय राममणि

08- कुंजमणि ॥ मृतक ॥ जरिये वारिसान -

क- शांती बेवा पत्नी कुंजमणि

ख- पंचराज तनय कुंजमणि

ग- जीतेन्द्र कुमार तनय कुंजमणि

09- कमलेश्वर प्रसाद

10- दमोदर प्रसाद

11- बैकुण्ठ प्रसाद

12- बलराम प्रसाद

13- कृष्णकुमार
सभी के पिता अवनी कुमार निवासीगण ग्राम पकरा तह० मऊगंज, जिला रीवा, म०प्र०.

14- राजेन्द्रप्रसाद (मृतक) जरिये वारिसान -

अ- शशिकान्त)
ब- अरूणेन्द्र कुमार)
स- अखिलेश कुमार) सभी के पिता राजेन्द्र प्रसाद
द- विनय कुमार)
ई- श्यामनारायण)

15- शिवशंकर)
16- रमाशंकर) - पिता बलदेव प्रसाद
17- लीलाधर)

सभी निवासीगण ग्राम पकरा तह० मऊगंज, जिला रीवा, म०प्र०.

18- नारेन्द्र कुमार) दोनो के पिता हरिशरण
19- ज्ञानेन्द्र कुमार)

20- जागेश्वर प्रसाद) पिता अवधेश
21- राजेश्वरी प्रसाद)

22- रामनरेश)
23- कृष्ण केशव) पिता सूर्यमणि
24- कृष्णदेव)

25- संदीप कुमार) -पिता दिनेश प्रसाद
26- शिवेन्द्र कुमार)

27- रामशिरोमणि)
28- नीलेश कुमार) पिता नागेन्द्रप्रसाद
29- चैतन्य स्वरूप)

सभी निवासीगण ग्राम पकरा, तह० मऊगंज, जिला रीवा, म०प्र०.

------- अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध निर्णय व आदेश अनुविभागीय अधिकारी तहसील मऊगंज, जिला रीवा, म0प्र0 के प्रकरण क्र0-159/ए-27/17-18 मे पारित आदेश दिनांक- 14.8.18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं01959

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारो पर प्रस्तुत है :-

{01} यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

{02} यह कि विचारण न्यायालय मे प्रकरण क्र0 131/अ-27/07-08 मैं दिनांक 18.09.2008 को आदेश पारित किया गया था जिस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र0 1 ता 6 ने 10 वर्षों पश्चात दिनांक 20.04.018 को अधीनस्थ न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की थी, जो बेरूम्यादथी, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सभी पक्षकारो को तलब किए सरसरी तौर पर आलोच्यादेश पारित कर धारा-5 म्याद अधिनियम के आवेदन को स्वीकार करने मे महान् भूल की है ।

{03} यह कि आलोच्यादेश जो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित किया गया हैउस आदेश मे प्रथमतः धारा-5 का तर्क श्रवण किया जाना उल्लेख किया गया है, व प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियतकर दिया गया और पुनःश्च कर बाद मे लेख किया है कि उत्तरवादी क्र0 1 17, 20, 21, 22, 23 की उपस्थिति ली गई है, इससे स्पष्ट है कि सभी पक्षकारो केधारा-5 पर न ही जबाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया और न ही उन्हे धारा-5 म्याद बिन्दु पर उनकी कोईसुनवाई ही कीगई बल्कि अना0क्र0 1 ता 6 से प्रभावितहोकर अधीनस्थ न्यायालय ने 10 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत अपील को म्यादके अन्दर होना

238

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग॰ 5553/दो-अ/2018 जिला रीवा

हलराम श्री॰ विरूद्ध रामाधार पटेल

1	2	3
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री मनोज कुमार तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील मऊगंज के प्रकरण क्रमांक 159/अ27/17-18 में पारित आदेश दिनांक 14-8-18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29-3-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	